विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 896 के प्रश्नभाग (क) का परिशिष्ट-"अ"

स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश वासियों के बेहतर स्वास्थ्य एवं सुखमय जीवन के लिए प्राथमिक, सामुदायिक व जिला स्तर पर जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी :-

सं. क्र.	योजना का नाम	उपलब्ध कराई जा रही सुविधा का विवरण
1.	जननी सुरक्षा योजना	योजना अंतर्गत गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव कराने पर शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली महिला को रूपये 1000/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली महिला को रूपये 1400/- की राशि दी जाती है।
2.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं (जन्म से 1 वर्ष तक) के लिए निःशुल्क औषधि, भोजन, जांचें, परिवहन, ब्लड ट्रान्सफ्यूजन आदि सेवायें उपलब्ध कराई जाती है।
3.	जननी एक्सप्रेस योजना	योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओ एवं बीमार बच्चों को प्रसूति/उपचार हेतु घर से शासकीय अस्पताल जाने के लिये एवं प्रसव उपरांत अस्पताल से घर पहुँचाने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
4.	बालशक्ति योजना (पोषण पुनर्वास केन्द्र)	पोषण पुनर्वास केन्द्रों में गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती कर उपचार एवं मानक प्रबंधन किया जाता है। भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों की माताओं की आवश्यकता अनुसार जांच (हीमो ग्लोबिन), भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों को चिकित्सकीय आहार, भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों की माताओं को भोजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है।
5.	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 0 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर चिन्हित बीमारियों हेतु परामर्श, जांच, उपचार तथा आवश्यकतानुसार रैफरल एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
6.	मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना	योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 0 से 15 वर्ष के बच्चों तथा ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे पंजीबद्व नहीं है और अपना इलाज करा पाने में सक्षम नहीं है, वे भी इस योजना के पात्र है इसमें हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को हृदय का उपचार/आपरेशन किया जाता है,योजना अन्तर्गत अधिकतम 1.00 लाख रूपये तक की स्वीकृती का प्रावधान है।
7.	मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना	योजना अन्तर्गत 07 वर्ष तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के श्रवणबाधितार्थ से ग्रसित बच्चों का इलाज किया जाता है। योजना अन्तर्गत अधिकतम 6.50 लाख रूपये तक की स्वीकृती का प्रावधान है।
8.	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	इसके अंतर्गत 10 से 19 वर्ष के किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जानकारी एवं परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती है।
9.	परिवार कल्याण कार्यक्रम	परिवार को सीमित रखने के लिये 2 प्रकार की विधिया है। एक अस्थाई दूसरी. स्थाई। अस्थाई विधियों के रुप में IUCD गर्भ निरोधक गोलियां एवं निरोध की निःशुल्क प्रदायगी हितग्राहियों को दी जाती है। स्थाई विधि में पुरुष एवं महिला के नसबंदी आपरेशन किये जाते है।

सं. क्र.	योजना का नाम	उपलब्ध कराई जा रही सुविधा का विवरण
10.	दीनदयाल चलित अस्पताल	चलित अस्पताल के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं तथा स्वास्थ्य से जुड़े विषयों तथा योजनाओं की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जाती है।
11.	संजीवनी–108 आपात कालीन एम्बुलेंस सेवाएं	योजना के अन्तर्गत आपातकालीन चिकित्सकीय गंभीर बीमारियों में 2–ह्रदयघात आदि आपात स्थितियां 3–सड़क दुर्घटना 4–पुलिस एवं अग्नि प्रकरणों में हुई इमरजेंसी के मरीजों को 5–प्रसूता महिलाए एंव गंभीर रुप से बीमार नवजात शिशुओं एंव बच्चों को चिकित्सकीय उपचार हेतु संजीवनी–108 एम्बुलेंस वाहन सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
12.	राज्य/जिला बीमारी सहायता निधि	मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार का कोई सदस्य योजनान्तर्गत 21 चिन्हित बीमारीयों से पीड़ित होने पर रोगी को राशि रूपये 2.00 लाख तक की सकल सीमा के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानों के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
13.	सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना	योजनांतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला स्तर पर शासकीय अस्पतालों में मरीजों को आवश्यक दवाएं निःशुल्क प्रदाय की जा रही है।
14.	प्रसूति अवकाश सहायता योजना	इसमें चिन्हित श्रमिक संवर्ग की योजनाओं अन्तर्गत पति अथवा पत्नि के पंजीकृत होने पर 60 दिवस की अवकाश सहायता राशि प्रदान की जाती हैं।
15.	दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना	योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. कार्डधारी परिवार के सदस्यों को शासकीय अस्पताल में भर्ती होने पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम राशि रु. 30000/– तक के जांच उपचार की सुविधा निःशुल्क प्रदाय की जाती है।
16.	एस.एन.सी.यू. एवं एन.बी.एस.यू.	एस.एन.सी.यू. अंतर्गत नवजात बीमार बच्चों को भर्ती कर निःशुल्क उपचार किया जाता है।
17.	डायलिसिस एवं कीमोथेरेपी	मरीजों को उपलब्धतानुसार निःशुल्क डायलिसिस एवं कीमोथेरेपी अंतर्गत उपचार की सुविधा दी जाती है।
18.	टीकाकरण कार्यक्रम	इसके अंतर्गत शिशुओं एवं गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।
19.	राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम	इस कार्यक्रम अंतर्गत क्षय रोग से ग्रसित मरीजों को निःशुल्क जांच एवं उपचार प्रदान किया जाता है।
20.	राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम	इस कार्यक्रम अंतर्गत कुष्ठ रोग से ग्रसित मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाता है।
21.	राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम	इस कार्यक्रम अंतर्गत अंधत्व निवारण हेतु निःशुल्क उपचार किया जाता है।
22.	राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	इस कार्यक्रम अंतर्गत मलेरिया का निःशुल्क उपचार किया जाता है।
23.	निःशुल्क दवा वितरण एवं जांच योजना	जिला एवं विकास खंड की चिकित्सीय संस्थाओं में बाह्य एवं आंतरिक रोगियों की विभिन्न प्रकार की जांच, उपचार व भोजन आदि की सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है।

उप संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश